

पत्रांक-7/अधीक्षण-18-01/2018 44(7)A  
बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ,  
(सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 05.10.18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-001- निदेशन और प्रशासन-0001-अधीक्षण विपत्र कोड- 20-2210060010001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹4,19,91,355/- (चार करोड़ उन्नीस लाख एकान्चे हजार तीन सौ पचपन रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-03(7)ब दिनांक-07.06.18 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹4,19,91,355/- (चार करोड़ उन्नीस लाख एकान्चे हजार तीन सौ पचपन रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-001- निदेशन और प्रशासन-0001-अधीक्षण विपत्र कोड- 20-2210060010001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से इसकी निकासी की जायेगी।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने कार्यालय के संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ इस राशि में से संगत जिले यथा नालन्दा, बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, अरवल, सुपौल मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, बाँका, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, शेखपुरा एवं शिवहर के जिला वेक्टर बार्न डिजिज पदाधिकारियों का वेतन भुगतान करने हेतु उप आवंटन संगत जिलों के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारियों को करें।

6. उप आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संगत जिलों के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी राशि की निकासी कर जिला वेक्टर बार्न डिजिज पदाधिकारियों का वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।


Q

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक- 96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.3.2001, 241(9) दिनांक-21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।
10. आवंटित राशि से किये गये क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
12. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
14. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,




(राधेश्याम साह)  
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापक : 44(7)A

पटना, दिनांक : 05-10-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ सभी संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 /आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित



सरकार के विशेष सचिव



## विवरण-I

श्वितीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित अधीक्षण उपशीर्ष अन्तर्गत क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ कार्यालय के लिए वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग वेतन	कार्यालय व्यय	दूरभाष	विद्युत प्रभार	किराया महसूल एवं कर	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(01-01)	(01-03)	(01-04)	(01-05)	(01-06)	(01-07)	(01-07)	(13-03)	(13-04)	(13-04)	(14-01)			
1	पटना	7400000	740000	1332000	10000	22200	37000	9541200	10000	10000	200000	0	9761200	883/12.9.18
2	गया	2500000	250000	450000	0	7500	12500	3220000	0	0	0	0	3220000	
3	पूर्णिया	2500000	250000	450000	0	7500	12500	3220000	0	0	0	0	3220000	
4	मुंगेर	3200000	320000	576000	0	9600	16000	4121600	0	0	0	0	4121600	
5	सारण (अपरा)	3500000	350000	630000	0	10500	17500	4508000	0	0	0	0	4508000	230/12.9.18
6	तेरहता(भुजफ.पुर)	4100000	410000	738000	0	12300	20500	5280800	0	0	0	30155	5310955	503/18.9.18
7	कोशी (महरसा)	2500000	250000	450000	0	7500	12500	3220000	0	0	0	0	3220000	
8	भागलपुर	2500000	250000	450000	0	7500	12500	3220000	0	0	0	0	3220000	
9	दरभंगा	4200000	420000	756000	0	12600	21000	5409600	0	0	0	0	5409600	373/13.8.18
	कुल	32400000	3240000	5832000	10000	97200	162000	41741200	10000	10000	200000	30155	41991355	

(चार करोड़ उन्नीस लाख एकाच हजार तीन सौ पचपन) रु० मात्र

५५(३)९  
०५-१०-१८

सरकार के विशेष सचिव

**उपबंध की स्थिति**

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
		3	4	5	6	7
1	2					
1	वेतन (0001-01-01)	89009000	43300000	32400000	75700000	13309000
2	जीवन यापन भत्ता (0001-01-03)	8901000	4330000	3240000	7570000	1331000
3	मकान किराया भत्ता (0001-01-04)	15556000	7794000	5832000	13626000	1930000
4	परिवहन भत्ता (0001-01-05)	94000	10000	10000	20000	74000
5	त्रिकिस्ता भत्ता (0001-01-06)	240000	129900	97200	227100	12900
6	अन्य भत्ता (0001-01-07)	500000	216500	162000	378500	121500
7	रथौहार अग्रिम (0001-01-08)	500000	0	0	0	500000
	योग 20-22210.06.001.0001.01 वेतन	114800000	55780400	41741200	97521600	17278400
8	त्रिकिस्ता प्रतिपूर्ति (0001-06-01)	450000	0	0	0	450000
9	यात्रा व्यय (0001-11-01)	850000	315000	0	315000	535000
10	कार्यालय व्यय (0001-13-01)	1000000	450000	10000	460000	540000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001-13-02)	1275000	560000	0	560000	715000
12	दूरभाष (0001-13-03)	350000	180000	10000	190000	160000
13	विद्युत प्रभार (0001-13-04)	4100000	3060000	200000	3260000	840000
14	विधि प्रभार (0001-13-05)	900000	132000	0	132000	768000
15	वर्दी / पोषाक (0001-13-06)	100000	45000	0	45000	55000
16	किराया महसूल एवं कर (0001-14-01)	495000	270000	30155	300155	194845
17	प्रशिक्षण व्यय (0001-20-03)	1125000	0	0	0	1125000
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001-21-01)	450000	225000	0	225000	225000
19	अनुसंधान एवं मरम्मत (0001-27-02)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	125896000	61017400	41991355	103008755	22087245

44779

05-10-18

सरकार के विशेष सचिव

(9)